आज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम निम्बाहेडा

[illegible] बनाम [illegible]

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र पत्थरगढी ....मु.न.... सन् 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म
24-5-23	प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र जरिए अधिवक्ता अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश किया । प्रार्थना पत्र का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज किया गया । प्रार्थी के अधिवक्ता ने आवश्यक प्रवृति का होने के कारण एंव बारिश होने, फसल बोने के बाद पत्थरगढी किया जाना संभव नही हैं । उन्होने निवेदन किया कि एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए पत्थरगढी के आदेश किया जावें । हमने पत्रावली का अध्ययन किया । विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया । राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128 का भी अध्ययन किया । **"सीमा विवाद– सीमाओ से सम्बन्धित सभी विवाद भू – अभिलेख अधिकार द्वारा धारा 111 से अधिकथित रीति से विनिश्चत किये जायेगें । परन्तु खेतो की सीमाओं सम्बन्धित आवेदन उन मामलों में तहसीलदार को दिये जायेगें और उसके द्वारा निपटाये जायेंगे जहां ऐसी सीमाओं के बारे में कोई विवाद नही हैं किन्तु सीमा चिन्ह की अभाव में ऐसा विवाद उठने की संभावना हैं ।"** हम यह मानते हैं कि पत्थरगढी/ सीमा ज्ञान का कार्य फसल कटने के बाद किया जाता हैं । माह मई और जून में मौके पर खेत खाली होने के कारण पत्थरगढी हेतु यह समय उपयुक्त हैं विपक्षी को नोटिस तामिल कराने में समय लगने की संभावना होने के कारण तहसीलदार निम्बाहेडा दोनो की उपस्थिति में पत्थरगढी किया जाना एंव विवाद होने के स्थिति में पत्थरगढी न्यायालय द्वारा सुनवायी की जाकर किया जाना उचित प्रतीत होता हैं । अतः तहसीलदार को मौका कमीश्नर इस आशय से नियुक्त किया जाता हैं कि दोनो पक्षो को समुचित सूचना पत्र जारी करते हुए दोनो पक्षो की उपस्थिति में पत्थरगढी किया जाना सुनिश्चित करें कि दोनो पक्षो में विवाद होने की स्थिति में या विपक्षी द्वारा असहमति प्रकट करने की स्थिति में या विपक्षी द्वारा अपना पक्ष लिखित रखने की स्थिति में या विपक्षी द्वारा अपना पक्ष लिखित रखने की स्थिति तहसीलदार निम्बाहेडा को दोनो पक्षो को इस बाबत समुचित सूचित करे कि दिनांक 14-6-23 को न्यायालय हाजा उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा में प्रस्तुत करे । पत्रावली वास्ते तहसीलदार की वस्तुस्थिति रिपोर्ट, पत्थरगढी की पालना रिपोर्ट हेतु दिनांक 14-6-23 को पेश हो ।	
14-6-23	पत्रावली आज पेश हुई । तहसीलदार द्वारा पत्थरगढी की पालना रिपोर्ट पेश नही हुई । पत्रावली वास्ते इंतजार तहसीलदार की पालना रिपोर्ट हेतु दिनांक 28-6-23 को पेश हो।	
28-6-23	पत्रावली आज पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित/अनुपस्थित। एस.डी.ओ.सा. दौरे /अन्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली हुक्म साविका दिनांक 31-7-23 [illegible] आज्ञा से	
31-7-23	पत्रावली आज पेश हुई । तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा रिपोर्ट पालना प्राप्त [illegible] तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार पत्थरगढी की [illegible] । अब पत्रावली में [illegible] कार्यवाही शेष नही हैं । हमने पत्रावली का अध्ययन/तहसीलदार द्वारा प्राप्त रिपोर्ट का भी ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । पत्रावली में अब कोई कार्यवाही शेष नही होने के कारण पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो । उपखण्ड अधिकारी	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 17:11:55 IST
Reason: SelfAttested